पत्रांक–2 / यो0–5005 / 2025–8

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले० एवं ह०)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– **नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम** स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी नियोजनालयों में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु स्टडी किट का वितरण हेतु चालू स्कीम का ₹50,00,000 (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–**स्वीकृत** ।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत **नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम** स्कीम के तहत् वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम 2025 पत्रांक–संख्या–ब–15 / बी०एस०जी०–106 / 2025–600 / वि० दिनांक–06.08.2025 तदनुसार तत्कालीन प्रशासी विभाग (श्रम संसाधन) के ज्ञापांक–2646 दिनांक–08.08.2025 द्वारा प्राप्त शक्तियों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹50,00,000 (रूपये पचास लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है :–

3. ₹ 50,00,000 (रूपये पचास लाख) मात्र राज्य के सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय / जिला नियोजनालय / विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र एवं विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सहायता पहुँचाने हेतु संबंधित परीक्षा का स्टडी किट उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्टडी किट का अधिकतम मुल्य ₹5,000 (रूपये पाँच हजार) मात्र तक सीमित रखा जायेगा। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी किट का अधिकतम मुल्य ₹2,500 (रूपये दो हजार पाँच सौ) मात्र तक सीमित रखा जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा :–

I. बिहार राज्य के निवासी अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम ₹3,00,000 /– मात्र हो तथा नियोजनालय में न्यूनतम छः माह पूर्व से निबंधित हो, इस योजना के पात्र होंगे। लाभुकों के चयन में निबंधन की वरीयता को प्रथमिकता दी जायेगी।

II. अभ्यर्थी सरकारी सेवा संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। उम्र सीमा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के मापदंड के अनुरूप होगा।

III. लाभुकों के चयन में दिव्यांगजन, Transgender, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

IV. अभ्यर्थी को नियोजन पक्ष द्वारा संचालित स्टडी किट एवं टूल किट योजना में से केवल एक योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही पूर्व में स्टडी किट / टूल किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

V. लाभुकों का चयन संबंधित उप निदेशक (नियोजन) की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसमें संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन), नियोजनालय के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा किया जायेगा।

4. गत वर्ष 2024–25 में इस स्कीम की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–934 दिनांक–27.06.2024 एवं पत्रांक–167 दिनांक–04.02.2025 द्वारा दी गई है।

5. यह चालू स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय **मुख्य शीर्ष**– ''2230– श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएं, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण,

उपशीर्ष–0101–नियोजन–सह–मार्गदर्शन कार्यक्रम, मांग संख्या–26, विपत्र कोड संख्या–26–2230.02.003. 0101 चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत कंडिका–3 से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष– 0101–1301 कार्यालय व्यय मद से विकलनीय होगा।

6. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561/वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य नियमों द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (c.f.m.s) के तहत निर्गत एवं व्यय किया जायेगा ।

7. इस स्कीम हेतु आवश्यक उदव्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

8. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी होंगे।

9. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्याः–2/यो०–5005/2025– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–राज्य के सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी वि०वि०नि०सू० एवं मार्गदर्शन केन्द्रो सहित/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्याः–2/यो०–5005/2025– 87 पटना–01, दिनांक–20/1/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

S. Dayal
19/01/26
सरकार के उप सचिव